(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 44 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7 क	0404 10 10	मट्ठा, जो कि गाढ़ा, वाष्पित या संघनित, द्रव या अर्द्ध ठोस के रूप में हो	30%	-	-”;
“7 ख	0404 90 00	सभी वस्तुएं	30%	-	-”;

(फाइल संख्या 354/107/2018- टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट-: प्रधान अधिसूचना -2017/50सीमा शुल्क, दिनांक जून 30, 2017, को सा(अ)785 .नि.का., दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 40/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 328 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया है ।